(35

541

राजस्थान–सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प.10 (3)वन/2007/ जयपुर, दिनांक अगस्त, 2010

09 AUG 2010

: आदेश :

राज्य के कई क्षेत्रों में प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा (विलायती बबूल) का वृक्षारोपण किया गया है या विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक तौर पर इनके वन क्षेत्र विकसित हो गये। भूमि संरक्षण की दृष्टि- से इसके महत्व को देखते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक प.79/ग्रावि/रा.वे.ड.बो./2008 दिनांक 11.11.2009 द्वारा प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा को जड़ से उखाड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

हरित ऊर्जा के उत्पादन में प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा की उपयोगिता एवं पर्यावरणीय दृष्टि से इनको जड़ों से उखाडने पर होने वाली क्षति को देखते हुए राज्य के सभी वन क्षेत्रों से प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा को जड़ से उखाड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है इनका विदोहन जड़ से न्यूनतम चार इन्च का भाग छोड़ कर किया जा सकेगा। पक्षी विहार, वन्यजीव अभ्यारण्य या घासों के बीड़ क्षेत्रों में अति–आवश्यक होने पर राज्य सरकार की विशेष अनुमति से ही प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा को जड़ से निकाला जा सकेगा।

भवदीय,

16/8/10
(डॉ. वी.एस. सिंह)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/उद्योग/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं अति. सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ) राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति समस्त वनाधिकारियों को भिजवाते हुए पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त शासन सचिव